


मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर की वित्त समिति की दिनांक 27.07.2021 को विश्वविद्यालय के सर जे०सी० बोस सभागार में प्रातः 10.30 बजे सम्पन्न हुई 2021/01 (बाइसवीं) बैठक की कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :-

1. प्रो० श्री जे०पी० पाण्डेय  
कुलपति,  
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।  
अध्यक्ष
2. श्री कृपाशंकर सिंह, विशेष सचिव,  
प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग,  
उ०प्र० शासन, लखनऊ।  
सदस्य
3. श्री हरिशंकर मिश्र, अपर निदेशक कोषागार  
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।  
प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग,  
उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।  
सदस्य
4. ई०एस०के० अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक,  
मेसर्स एस० के० केमिकल्स।  
चैम्बर आफ इन्डस्ट्रीज,  
105, सुनन्दा टावर, बैंक रोड,  
गोरखपुर।  
राज्य सरकार द्वारा नामित
5. प्रो० राकेश कुमार,  
अधिष्ठाता छात्र मामले,  
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर।  
विशेष आमंत्रित सदस्य
6. प्रो० एस०के० श्रीवास्तव,  
अधिष्ठाता अध्ययन, शोध एवं विकास,  
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर।  
विशेष आमंत्रित सदस्य
7. प्रो० गोविन्द पाण्डेय,  
अधिष्ठाता अवस्थापना एवं नियोजन,  
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।  
विशेष आमंत्रित सदस्य

 F.C.



8. प्रो० डी०के० द्विवेदी,  
अधिष्ठाता संकाय मामले,  
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर। विशेष आमंत्रित सदस्य
09. प्रो० एस०के० सोनी,  
अधिष्ठाता स्नातक अध्ययन एवं उद्यमिता,  
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर। विशेष आमंत्रित सदस्य
10. प्रो० बृजेश कुमार,  
कुलसचिव,  
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर। सदस्य
11. श्री अमर सिंह,  
वित्त नियंत्रक,  
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर। सदस्य/सचिव

वित्त समिति की बाइसवीं बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत् है।

22-01 वित्त समिति की दिनांक 22.12.2020 को सम्पन्न हुई 2020/05 (इक्कीसवीं) बैठक की कार्यवृत्ति के पुष्टि का प्रस्ताव।

समिति को अवगत कराया गया कि वित्त समिति की इक्कीसवीं बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यों को प्रेषित किया गया था, जिस पर मा० सदस्यों द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। अतः समिति द्वारा प्रस्तुत विवरण के अवलोकनोपरान्त वित्त समिति की इक्कीसवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि इस संशोधन के साथ की गयी कि मद संख्या 21-08 में व्यय की सीमा को रु. 30.00 लाख तक करते हुए नियमानुसार क्रय की प्रक्रिया के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की बचतों से किया जायेगा।

22-02 मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 2020/5(इक्कीसवीं) बैठक में लिये गये निर्णयों पर कार्यान्वित विवरण।

समिति वित्त समिति की इक्कीसवीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण का अवलोकन करते हुए पूर्व के स्वीकृति प्रस्तावों पर लिये गये निर्णयों से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर सहमति व्यक्त की गयी।

 P.C.



22-03 विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुमोदित बजट के सापेक्ष दिनांक 31.03.2021 (वित्तीय वर्ष 2020-21) तक का वास्तविक व्यय का व्यौरा एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुमोदित आय एवं व्यय के बजट के सापेक्ष दिनांक 30.06.2021 तक का वास्तविक व्यय का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुमोदित बजट के सापेक्ष दिनांक 31.03.2021 तक का वास्तविक व्यय का व्यौरा एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुमोदित आय एवं व्यय के बजट के सापेक्ष दिनांक 30.06.2021 तक का वास्तविक व्यय के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए, समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में होने वाली आय की सीमा के अन्तर्गत ही व्यय किया जाय।

22-04 विश्वविद्यालय परिसर में 500 K.W. के सौर उर्जा प्लांट स्थापित किये जाने का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में 500 K.W. के सौर उर्जा प्लांट स्थापित किये जाने के प्रस्ताव पर रु. 194413750.00 के व्यय पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त प्रस्तावित कार्य हेतु धन की उपलब्धता के अनुसार विश्वविद्यालय के श्रोतो से होने वाली आय की बचतो से व्यय का वहन किया जायेगा।

22-05 विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा किसी प्रोफेशनल सोसाईटी की आजीवन/वार्षिक सदस्यता प्राप्त करने में व्यय हेतु पंजीकरण शुल्क दिये जाने का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा किसी प्रोफेशनल सोसाईटी की आजीवन/वार्षिक सदस्यता प्राप्त करने में पंजीकरण शुल्क के रूप में यदि व्यय किया जाता है तो उसका 75 प्रतिशत या अधिकतम रु. 5000.00 की धनराशि जो भी कम हो उसकी प्रतिपूर्ति सम्बन्धित शिक्षक द्वारा पूर्ण अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

धन की उपलब्धता के अनुसार नियमानुसार विश्वविद्यालय के श्रोतो से होने वाली आय की बचतो से किया जायेगा।

22-06 विश्वविद्यालय में कार्यरत अंशकालिक होमियो पैथिक चिकित्सक के पारिश्रमिक में वृद्धि का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत अंशकालिक होमियो पैथिक चिकित्सक के पारिश्रमिक रु. 13200.00 प्रतिमाह के स्थान पर रु. 17000.00 की वृद्धि माह अगस्त 2021 से किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त व्यय का वहन विश्वविद्यालय के श्रोतो से होने वाली आय की बचतो से पूर्व की भाँति किया जायेगा।

 F.C.



22-07 विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सरकारी कार्यवश मुख्यालय स्तर पर बाहर जाने पर दिये जाने वाले सड़क यात्रा के लिये लोकल कन्वेन्स की दरों में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सरकारी कार्यवश मुख्यालय स्तर पर स्थित बाहर के विभिन्न कार्यालयों में जाने पर दिये जाने वाले सड़क यात्रा के लिये लोकल कन्वेन्स की दर प्रति यात्रा रु. 18.00 के स्थान पर रु. 50.00 की प्रति दर पर वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त व्यय का वहन विश्वविद्यालय के बचतों से पूर्व की भाँति किया जायेगा।

22-08 केमिकल इन्जी० विभाग के प्रयोगशालाओं हेतु आवश्यक फर्नीचर एवं उपकरण के क्रय का प्रस्ताव।

समिति द्वारा केमिकल इन्जी० विभाग के प्रयोगशालाओं हेतु आवश्यक फर्नीचर एवं उपकरण के क्रय करने हेतु रु. 70.00 लाख के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

धन की उपलब्धता के अनुसार नियमानुसार क्रय की प्रक्रिया के तहत धनरशि विश्वविद्यालय से व्यय का वहन किया जायेगा।

22-09 विश्वविद्यालय के चिकित्सालय में संविदा नर्स/फिजियोथेरेपिस्ट को जैम पोर्टल के माध्यम से रखने एवं माह जनवरी 2021 से किये गये कार्यों के सापेक्ष भुगतान का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय के चिकित्सालय में संविदा नर्स/फिजियोथेरेपिस्ट को जैम पोर्टल के माध्यम से रखने एवं माह जनवरी 2021 से किये गये कार्यों के सापेक्ष भुगतान संविदा नर्स को रु. 15000.00 प्रतिमाह एवं फिजियोथेरेपिस्ट को रु. 10500.00 प्रतिमाह (अंश कालिक 03 घन्टा हेतु) की दर से मानदेय दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि उक्त प्रक्रिया को जैम पोर्टल के माध्यम से यथा शीघ्र पूरा कर लिया जाय।

उक्त व्यय का वहन विश्वविद्यालय के श्रोतों से होने वाली आय की बचतों से पूर्व की भाँति किया जायेगा।

22-10 विद्युतकण एवं संचार अभियंत्रण विभाग में एंटीना विकिरण पैटर्न माप एवं अन्य उपकरण क्रय किये जाने का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विद्युतकण एवं संचार अभियंत्रण विभाग में एंटीना विकिरण पैटर्न माप एवं अन्य उपकरण क्रय करने हेतु रु. 45.30 लाख के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

धन की उपलब्धता के अनुसार नियमानुसार क्रय की प्रक्रिया के तहत विश्वविद्यालय के श्रोतों से होने वाली आय की बचतों/टेक्विप मद से व्यय का वहन किया जायेगा।

22-11 विश्वविद्यालय के परिसर में लगे सभी R.O. प्लान्ट वार्टर प्यूरिफायर एक्वागार्ड, वाटर कूलर तथा छात्रावासों के मेस में लगे गैस स्टोव एवं अन्य विद्युत उपकरण का आगामी एक वर्ष तक ऐनुअल मेन्टेनेंस कान्ट्रैक्ट का प्रस्ताव।



समिति द्वारा विश्वविद्यालय के परिसर में लगे सभी R.O. प्लान्ट वार्टर प्यूरिफायर एक्वागार्ड, वाटर कूलर तथा छात्रावासों के मेस में लगे गैस स्टोव एवं अन्य विद्युत उपकरण का आगामी एक वर्ष तक ऐनुअल मेन्टेनेंस कान्ट्रैक्ट कराये जाने की लागत का स्पष्ट उल्लेख करते हुए आगामी वित्त समिति में पुनः प्रस्ताव रखे जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

**22-12 विश्वविद्यालय के लेखानुभाग में एकाउन्टिंग पालिसी तैयार करने एवं उसके सापेक्ष प्रशिक्षण दिये जाने का प्रस्ताव।**

समिति द्वारा विश्वविद्यालय के लेखानुभाग में एकाउन्टिंग पालिसी तैयार करने एवं उसके सापेक्ष प्रशिक्षण दिये जाने पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया लेखानुभाग के कर्मचारियों को वित्तीय प्रबंधन जैसे संस्थानों से भी प्रशिक्षण प्रदान कराया जाये।

**22-13 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से एकेडमिक भवन एवं पुस्तकालय के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव।**

समिति द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से एकेडमिक भवन हेतु रु. 1.00 करोड़ एवं पुस्तकालय के जीर्णोद्धार हेतु रु. 0.21 करोड़ का कार्य किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

इस पर होने वाले समस्त व्यय भार का वहन राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से किया जायेगा।

**22-14 विश्वविद्यालय में टाईप III के 30 नग आवासों में से 12 नग आवास वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्माण का कार्य कराये जाने का प्रस्ताव।**

समिति द्वारा विश्वविद्यालय में टाईप III के 30 नग आवासों में से 12 नग आवास वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्माण का कार्य कराये जाने पर रु. 330.78 लाख का व्यय भार पड़ेगा जिस पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही समिति द्वारा मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया कि वे निर्माण कार्य हेतु पूर्व में चयनित 5 संस्थाओं में से किसी एक को चयनित कर ले। साथ ही कार्य के गुणवत्ता एवं प्रगति की निरन्तर मॉनिटरिंग विश्वविद्यालय स्तर से होती रहे।

धन की उपलब्धता के अनुसार नियमानुसार विश्वविद्यालय के श्रोतों से होने वाली आय की बचतों से प्राप्त धन से व्यय का वहन किया जायेगा।

**22-15 विश्वविद्यालय में कौशल विकास एवं उद्यमिता केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव।**

समिति द्वारा विश्वविद्यालय में कौशल विकास एवं उद्यमिता केन्द्र की संचालन एवं समन्वयक की नियुक्ति को 11 माह के लिए एवं केन्द्र के संचालन इत्यादि पर कुल अनुमानित व्यय रु. 20.00 लाख पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त व्यय का वहन विश्वविद्यालय से होने वाली आय की बचतों से किया जायेगा।



22-16 स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत बी.फार्म (फार्मसी) पाठ्य क्रम के संचालन हेतु मानक के अनुरूप नये भवन के निर्माण का प्रस्ताव।

समिति द्वारा स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत बी.फार्म (फार्मसी) पाठ्य क्रम के संचालन हेतु मानक के अनुरूप नये भवन के निर्माण पर रु. 1153.39 लाख व्यय होने का अनुमानित व्यय प्रस्तुत किया गया। जिसका समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही समिति द्वारा मा० कुलपति जी को अधिकृत किया गया कि वे निर्माण कार्य हेतु पूर्व में चयनित 5 कार्यदायी संस्थाओं में से किसी एक को चयनित कर ले, तथा कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की निरन्तर मानिट्रिंग करते रहें।

उक्त व्यय का वहन विश्वविद्यालय के श्रोतो से होने वाली आय की बचतो से किया जायेगा।

22-17 कार्यालय प्रधान महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद द्वारा सम्परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय के वैलेन्सशीट में दिये गये सुझाव के अनुसार की गयी कार्यवाही का प्रस्ताव।

समिति द्वारा कार्यालय प्रधान महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद द्वारा सम्परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय के वैलेन्सशीट में दिये गये सुझाव के अनुसार की गयी कार्यवाही में विभिन्न देयताओं का वैलेन्स जनरल फण्ड में समाहित करते हुए हस्तान्तरित किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

22-18 विश्वविद्यालय की वित्तीय वर्ष 2020-21 के वैलेन्सशीट/बैंक समाधान विवरण का अवलोकन एवं अनुमोदन का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय की वर्ष 2020-21 की वैलेन्सशीट/बैंक समाधान विवरण का अवलोकनोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही समिति को अवगत कराया गया कि पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के सापेक्ष इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में वचत कम हुई है इसका कारण छात्रों की फीस के रूप में यूजर चार्ज को माफ किया जाना एवं कोविड-19 के दृष्टिगत छात्रों की फीस की दूसरी किश्त 31 मार्च 2021 के बाद प्राप्त होना है।

22-19 विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में फर्नीचर एवं ए०सी० लगाये जाने का प्रस्ताव।

समिति द्वारा प्रभारी अतिथि गृह द्वारा अतिथि गृह में नये फर्नीचर, नये ए०सी० के क्रय एवं छत के मरम्मत कार्य हेतु रु. 9.51 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसका अनुमोदन प्रदान किया गया।

धन की उपलब्धता के अनुसार नियमानुसार क्रय की प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्य कराते हुए धनराशि विश्वविद्यालय के बचतो से वहन की जायेगी।

22-20 विश्वविद्यालय परिसर स्थित सभी प्रकार के आवासों में प्रीपेड बिजली के मीटर लगाये जाने का प्रस्ताव।

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन करते हुए विश्वविद्यालय परिसर में स्थित सभी प्रकार के आवासों में प्रीपेड बिजली के मीटर लगाये जाने पर लगभग रु. 30.00 लाख का



अनुमानित व्यय भार प्रस्तुत किया गया है। जिस पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया।

धन की उपलब्धता के अनुसार नियमानुसार कय की प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्य कराते हुए धनराशि विश्वविद्यालय के बचतो से वहन की जायेगी।


22-21


विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के कमाने वाले अभिभावकों की मृत्यु तथा विश्वविद्यालय के शिक्षको/अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कोविड-19 के कारण मृत्यु होने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा मानवीय आधार पर किये जाने वाली मदद/सहयोग के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन करते हुए विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के कमाने वाले अभिभावकों की मृत्यु पर छात्र कल्याण नियमावली को 31 मार्च 2021 से प्रभावी किये जाने के साथ प्रत्येक छात्र को मानवीय आधार पर रु. 1.00 लाख अनुग्रह राशि तथा उसके आगामी सत्रों की कुल फीस माफ किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण विश्वविद्यालय के शिक्षको/अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कोरोना से मृत्यु की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा मानवीय आधार पर रु. 4.00 लाख की एक मुश्त मदद आश्रित परिवार को किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

उपरोक्त दोनो प्रयोजनों हेतु भुगतान एन्डाउन्मेन्ट फन्ड के व्याज की धनराशि से किया जायेगा।

अन्त मे बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापनोपरान्त समाप्त हुई।

  
(अमर सिंह)  
वित्त नियंत्रक  
सदस्य/सचिव

  
27.7.2021  
(प्रो० जे०पी० पाण्डेय)  
कुलपति/अध्यक्ष